संख्या- 50/2020/660 ई-2/तेरह-2020-144/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी**,**
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक जून**,** 2020

विषयः मेसर्स कियाना हास्पिटालिटी द्वारा संचालित (मॉलिक्यूल रेस्टोरेन्ट) डी-63/9-ए, तुलसीपुर महमूरगंज वाराणसी के पक्ष में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त उ.प्र. प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-3673/जि.आ.आ./बार अनु./एफ.एल.-7 बार/19-20 दिनांक 24.02.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 में की गयी संस्तुति तथा इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त**,** प्रयागराज के पत्र संख्या-जी.-225/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.-6,7/मे. कियाना हा./बार अनु./वाराणसी**,** दिनांक 29.02.2020 में की गयी संस्तुति व अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स कियाना हास्पिटालिटी द्वारा संचालित (मॉलिक्यूल रेस्टोरेन्ट) डी-63/9-ए**,** तुलसीपुर महमूरगंज वाराणसी के पक्ष में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा एवं पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई में स्थापित अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है**,** इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जाएगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय**,**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2020/660(1) ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक

उपयुक्त की प्रति आबकारी आयुक्त प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी.-225/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.-6,7/मे. कियाना हा./बार अनु./वाराणसी**,** दिनांक 29.02.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से**,**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in